Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

शालिनी बनाम अविनाश सिह वगै0
अपील संख्या 28/2025 GCMS NO 2025/--------------

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.4.2025	अपील श्री हंसराम गुर्जर अधिवक्ता ने पेश की । अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 6.9.24 को पारित अंतरिम आदेश के विरूद्व पेश की गई है। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण काफी समय से विचाराधीन है। जिसका अंतिम निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया जाकर केवल मात्र तारीख पेशी तब्दील की जाती है। जिसके कारण अपीलांट के हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6.9.24 को अपास्त किया जावे। अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है। जिसका लगभग 6 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अंतिम निर्णय नही हो सका है। प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आर टी एक्ट के तहत प्रस्तुत हुआ है। जिसमे केवल प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ का विवेचन कर निर्णय पारित करना होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 55/24 उनवानी अविनाश बनाम शालिनी मे पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 6.9.24 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट से प्रार्थना पत्र का जबाब प्राप्त किया जाकर प्रार्थना पत्र टी आई के तीनो बिन्दुओ का विवेचन कर उभय पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का विधि अनुसार अंतिम निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल रिकार्ड होवे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:50:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner